

शुद्ध हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जसराजसिंह बनाम जेठमालसिंह

15.07.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०।
प्रार्थी का मूल वाद NOT PRESS अधिवक्ता
वादी द्वारा अंकित करने से मूल वाद
अदम पैरवी में स्वारिज किया जा चुका है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से
कम हो।

वीरपुत्र
15/7/25
सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

